



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



शशि भूषण कुमार, भा0प्र0से0
कार्यपालक निदेशक –सह–
अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक: SHSB/GA/2050/2016/5240,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी –सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांक: 14.09.2016

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देविका विश्वास v/s यूनियन ऑफ इंडिया के मध्य दायर याचिका 95/2012 के सुनवाई में दिये गये विशेष निदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग: सी0 के0 मिश्रा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 11017/C/1/2012-FP(Pt.) दिनांक 4 अक्टूबर 2016

महाशय/महाशया,

जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से कुल प्रजनन दर एवं अपूरित मांग को कम करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश में लाभार्थियों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण नियमित परिवार कल्याण सेवा प्रदान करना राष्ट्रीय अभियान का एक अंग है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा समय-समय पर आवश्यक आदेश निर्गत किए गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देविका विश्वास v/s यूनियन ऑफ इंडिया के मध्य दायर याचिका 95/2012 के सुनवाई में दिनांक 14.09.2016 को विशेष निदेश दिये गये हैं, जिसका अनुपालन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दृढ़तापूर्वक किया जाना है ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधायें प्रदान किया जा सके एवं अधिकतम लाभार्थियों द्वारा परिवार नियोजन सुविधाओं को स्वैच्छापूर्वक अपनाया जा सके।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जिलों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाना है, जिनकी विवरणी निम्नवत् है। समय सारणी के साथ विस्तृत विवरणी Annexure-2 के रूप में संलग्न है।

1. महिला एवं पुरुष नसबंदी सेवाएँ हेतु सेवा प्रदाताओं को Empanelled करना, कम-से-कम प्रत्येक त्रैमास Empanelled list का नवीनीकरण करना तथा जिला गुणवत्ता यकीन कमिटी (DQAC) एवं District Family Planning Indemnity Sub-committee (DISC) के सदस्यों की सूची को अद्यतन करते हुए परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को ससमय भेजना ताकि वेब पोर्टल पर उसे अपडेट किया जा सके (Annexure 2.1 & 2.3)।
2. Empanelled List में शामिल सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए कार्यों का अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को ससमय भेजा जाना है (Annexure 2.2)।
3. जिलों द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि हर एक संस्थान जहाँ बंध्याकरण/नसबंदी ऑपरेशन होता है, वहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रेषित हिन्दी भाषा में रूपांतरित सहमति प्रपत्र, Medical record & check list, ऑपरेशन पश्चात् निर्देश कार्ड एवं बंध्याकरण/नसबंदी प्रमाण-पत्र उपलब्ध रहे एवं उनका समुचित प्रयोग हो।
4. प्रत्येक त्रैमास के समाप्त होने पर Quarterly Progress Report (QPR) संलग्न संबंधित प्रपत्र में ससमय परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भेजा जाए।



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014,

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

